न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 72/21 GCMS NO 2021/110

1. हरिराम
2. रामसुखा
3. रामखिलाडी पिसरान नथुआ
4. धर्म सिह
5. हरि सिह
6. जल सिह पिसरान रामखिलाडी पुत्र नथुआ
7. उगन्ती देवी पत्नि रामखिलाडी समस्त जातियान बैरवा निवासीयान त्रिशूल की ढाणी तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रामदेव पुत्र गणेश जाति बैरवा निवासी त्रिशूल की ढाणी तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. तहसीलदार टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

अपील संख्या 71/21 GCMS NO 2021/109

1. हरिराम
2. रामसुखा
3. रामखिलाडी पिसरान नथुआ
4. धर्म सिह
5. हरि सिह
6. जल सिह पिसरान रामखिलाडी पुत्र नथुआ
7. उगन्ती देवी पत्नि रामखिलाडी
8. अंगूरी देवी पत्नि हरिराम
9. शांति देवी पत्नि रामसुखा समस्त जातियान बैरवा निवासीयान त्रिशूल की ढाणी तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रामदेव पुत्र गणेश
2. भौति देवी पत्नि रामदेव जातियान बैरवा निवासी त्रिशूल की ढाणी तहसील टोडाभीम जिला करौली
3. तहसीलदार टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपीले विरूद्ध मु0नं0 74/12 एवं 49/13 निर्णय व डिक्री [illegible] 21 न्यायालय उप जिला [illegible] टोडाभीम, [illegible])

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

... अपीलान्टस निम्नलिखित प्रस्तुत है ।

अभिभाषक अपीला0 श्री सुनील कुमार जिंदल
अभिभाषक रैस्पो0 श्री सुरेश चंद शर्मा

दिनांक 30.12.25

निर्णय

प्रस्तुत दोनो अपीले अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 14.9.21 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम पेश की है ।

<u>अपील संख्या 72/21</u> के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 1 द्वारा दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम नन्दीपुर स्थित खसरा न0 95 रकबा 0.03, 96 रकबा 0.08, 97 रकबा 0.09, 98 रकबा 0.08, 99 रकबा 0.17, 100 रकबा 0.05 है0कुल किता 6 कुल रकबा 0.60 है0 वादी न0 1 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 1/2 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। मौके पर वाहमी बंटवारा हो रहा है सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज है। कौन कौन किस किस नम्बर पर काबिज है पता नही है। आये दिन डोल मेड पर विवाद होता रहता है तथा संयुक्त खतोदारी मे रहकर काश्त करना संभव नही हो रहा है। वादी आराजी खसरा न0 98 एवं अन्य नम्बरो पर काबिज है एवं प्रतिवादी न0 1 खसरा न0 99 व अन्य पर काबिज है एवं काश्त कर रहे है। विधिवत बंटवारा कराना चाहते है। इसलिए आराजी खसरा न0 95 रकबा 0.03, 96 रकबा 0.08, 97 रकबा 0.09, 98 रकबा 0.08, 99 रकवा 0.17, 100 रकबा 0.05 है0कुल किता 6 कुल रकबा 0.60 है0 मे हिस्से व कब्जे अनुसार बंटवारा कराकर दावा फाईनल डिकी किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रैस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील संख्या 71/21 के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादीगण/अपीलांटगण द्वारा वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम नन्दीपुर स्थित आराजीयात खसरा न0 95 रकबा 0.03, 96 रकबा 0.08, 97 रकबा 0.09, 98 रकबा 0.08, 99 रकबा 0.17, 440/100 रकबा 0.05, 6 रकबा 0.60 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.60 है0 मे वादी न0 1 1/2 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं खसरा न0 100 रकबा 0.10, 101 रकबा 0.17, 102 रकबा 0.18, 103 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.55 है0 मे वादीगण 2 ता 4 का 1/2 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त आराजी का साबिक ख0न0 93 रकबा 15 बीघा 10 विस्वा था। मौके पर आराजी एक जगह पर स्थित है। मौके पर एक जगह होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण न0 1 व 2 ने बाहमी बंटवारा मौके पर कर रखा है। और अपने अपने [illegible] काबिज चले आ रहे है। जिसमे वादीगण का मौके पर खसरा न0 95,96,99,440/100,100/1 [illegible] काबिज चले आ रहे है। जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण न0 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी होने के कारण रिकार्ड मे बंटवारा नही होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 व 2 के मध्य आये दिन विवाद बना रहता है। वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

द्वारा प्रतिवादीगण से विधिवत बंटवारा तहसील मे चलकर कराने कहने पर प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया। इसलिए दावा करना आवश्यक हुआ। अतः वाद पत्र प्राथमिक डिकी किया जाकर आराजी खसरा न0 95,96,97,98,99,110/100,101,102,103 कुल किता 10 कुल रकबा 1.15 है0 को वादीगण के कब्जे व हिस्से अनुसार अलग अलग खातेदारी कायम की जावे व तहसीलदार टोडाभीम को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांटगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिकी जारी की गई । जिससे व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपीले पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की दोनो अपीलो पर एक साथ सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो/प्रतिवादी द्वारा खाता संख्या 37 मे दर्ज भूमि ख0न0 95 रकबा 3 ऐयर गेर मुमकिन चाह, 96 रकबा 8 ऐयर, 97 रकबा 9 ऐयर, 98 रकबा 18 ऐयर , 99 रकबा 17 ऐयर, 440/100 रकबा 5 ऐयर कुल रकबा 60 ऐयर स्थित ग्राम नन्दीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली के बाबत तकासमा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अपीलांटगण के विरूद्व पेश किया गया था। जिसमे अपीलांट ने अपने जवाब दावे के मद न0 9 के विशेष विवरण मे यह तथ्य कि उक्त खसरा न0 के अलावा नवीन खाता संख्या 50 मे दर्ज भूमि खसरा नम्बरान 100 रकबा 10 ऐयर, 101 रकबा 17 ऐयर, 102 रकबा 18 ऐयर, 103 रकबा 10 ऐयर स्थित ग्राम नन्दीपुर मे जिसका साबिक खसरा न0 93 था इसलिए खाता संख्या 37 व 50 मे दर्ज आराजी का विधिवत बंटवारा किया जाना आवश्यक है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 74/12 को प्रकरण संख्या 49/13 मे समायोजित कर वादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कब्जा अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी बंटवारा करने का निवेदन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 3.7.17 को प्राथमिक डिकी जारी कर कमिश्नर को मुताबिक निर्णय व आदेश दिनांक 3.7.17 के अनुसार बंटवारा स्कीम पेश करने के आदेश दिये गये थे लेकिन कमिश्नर ने पक्षकारो को नोटिस दिये बिना ही दिनांक 28.6.18 को बंटवारा स्कीम के आधार पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता को बंटवारा स्कीम पर आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका नही देकर उक्त बंटवारा स्कीम के आधार पर दिनांक 29.6.18 को फाईनल डिकी पारित कर दी गई। जिस पर अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आदेश 47 नियम 1 धारा 151 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बंटवारा स्कीम पर आप[illegible]त करने का मौका दिये जाने का निवेदन किया। अदालत मातहत द्वारा [illegible] स्कीम तलब करने पर कमिश्नर द्वारा दिनांक 28.9.19 को रिपो[illegible] तलब की गई [illegible]न कमिश्नर द्वारा सम्पूर्ण जमीन का बंटवारा नही कर केवल खसरा न0 95,96,97,98 का न[illegible] मे बंटवारा कर न्यायालय मे दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balai
Date: 2026.04.16 15:27:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

28.9.19 को प्रस्तुत की गई जिस पर वादीगण/अपीलांट द्वारा आपत्ति दर्ज कराते हुए अदालत मातहत के समक्ष निवेदन किया कि पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा साजकर सडके के सहारे वाली सम्पूर्ण जमीन रेस्पो0 प्रतिवादीगण को दे दी गई और नक्शे मे बंटवारा नही कराया जिस पर अदालत मातहत द्वारा आपत्ति स्वीकार कर पुनः बंटवारा स्कीम दोनो पक्षो की उपस्थिति मे लाने के आदेश दिये गये। जिस पर कमिश्नर द्वारा दिनांक 13.8.20 को बंटवारा स्कीम प्रस्तुत की गई। जिसमे भी वादीगण अपीलांट एवं रेस्पो0 प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा पुनःकमिश्नर का बंटवारा स्कीम तलब करने के आदेश दिये जाने पर कमिश्नर द्वारा एवं उनके अधिनस्थ पटवारी गिरदावर द्वारा अपीलांट /वादीगण की रिपोर्ट 14.9.20 पर खाली कागज पर फर्जी हस्ताक्षर अपीलांट/प्रतिवादीगण के कराकर मुताबिक कब्जा अपीलांट रिपोर्ट प्रस्तुत नही कर गलत रिपोर्ट 1माह वाद दिनांक 12.10.20 को अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई। जो अपीलांट/प्रतिवादीगण की जानकारी के अभाव मे व उपस्थिति मे नही बनाकर पेश की गई। जिस पर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा जानकारी होने पर अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 16.2.21 को अपनी आपत्ति पेश की गई। जिसे अदालत मातहत द्वारा खारिज कर दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्ति को दरकिनार कर कानूनी भूल की है। इसलिए अदालत मातहत का निर्णय व डिकी निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिकी मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र उनवानी नथुआ वनाम रामदेव प्रकरण संख्या 49/13 मे दर्ज मद न0 4 मे वर्णित तथ्यो पर एवं मौखिक साक्ष्य पर गौर नही कर अपीलांट की आपत्ति 19.1.21 को खारिज कर भारी कानूनी भूल की है। जबकि कमिश्नर द्वारा ना तो अपीलांट को मौके पर उपस्थित होने बावत नोटिस दिया गया ना ही किसी प्रकार की सूचना दी गई। जबकि अपीलांट 2 ता 5 के बंटवारा स्कीम पर ना तो हस्ताक्षर है तथा अपीलांट न0 1,6,7 के फर्जी हस्ताक्षर व निशानी दर्ज कर दी तथा पूर्व के खाजी कागज पर कराई गई निशानी को कमिश्नर द्वारा उपयोग मे लेकर अदालत मातहत के समक्ष मौके के विपरीत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो रिपोर्ट तैयार करने के एक माह वाद अदालत मातहत के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त समस्त तथ्यो पर गौर नही कर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिकी निरस्त किये जाने योग्य है। बंटवारा कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 14.9.21 मे दर्ज आराजीयात मे से अपीलांट का खसरा न0 103,102,96,97 पर अपीलांट का कब्जा नही है। जबकि अपीलांट का मौके पर खसरा न0 100,101,440/100,95,99 के सम्पूर्ण भाग पर तथा खसरा न0 98 रकबा 18 ऐयर मे से 6 ऐयर पर अपीलांट काबिज है। लेकिन कमिश्नर द्वारा मौके के विपरीत बंटवारा स्कीम तैयार कर अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिसे अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट द्वारा आपत्ति दर्ज कराते हुए अपीलांट की आपत्ति को दरकिनार करते हुए निर्णय व डिकी पारित करने मे भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अदालत मातहत का निर्णय व डिकी निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपील[illegible] आपत्ति खारिज करने के दिन ही फाईनल डिकी जारी कर दी जबकि का[illegible] के आपत्ति के खारिजी के आदेश के विरूद्व रिवीजन मे जाने के अधिकार को समाप्त [illegible] रिवीजन जाने के समयावधि गुजर जाने पूर्व ही अदालत मातहत द्वारा कानून की अवहेलना [illegible] भारी कानूनी भूल की है। इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री खारिज किये जाने योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.9.21 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि वे पक्षकारान को नोटिस देकर मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति मे मुताबिक कब्जा अपीलांट का तकासमा कर अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से बंटवारा कमिश्नर से प्राप्त बंटवारा स्कीम अनुसार एवं पक्षकारो के द्वारा बंटवारा स्कीम का अवलोकन किये जाने के उपरान्त वाद पत्र फाईनल डिक्री किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 1 व धारा 151 पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से वादग्रस्त आराजीयात की बंटवारा स्कीम बंटवारा कमिश्नर से तलब की गई है। तत्पश्चात बंटवारा स्कीम पर प्रतिवादी द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के कारण पुनः बंटवारा स्कीम तलब कराने का निवेदन किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्रो को स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री के अनुसार टोडाभीम से गुढाचन्द्रजी रोड पर 1/2, 1/2 का बंटवारा स्कीम पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार की जाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा स्कीम बाबत चाहे गये अनुतोष स्वीकार किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय मे बंटवारा स्कीम तीन से चार बार प्राप्त की गई है। अपीलांट द्वारा बार बार बंटवारा स्कीम पर आपत्ति दर्ज कराने एवं कोई नयें तथ्य पेश नही कर मुकदमे को लम्बा करने के उद्वेश्य से आपत्तियां पेश की गई है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से खाारिज किया गया है। बंटवारा स्कीम उभयपक्ष की मौजूदगी मे तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय मे पेश की गई है। बंटवारा स्कीम कब्जे एवं हिस्से अनुसार विधिवत रूप से तैयार की गई है जिसके अनुसार ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र फाईनल डिक्री किया गया जाकर उभयपक्ष को एक दूसरे के कब्जे काश्त मे मदालखत नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से विधिवत रूप से पाबंद किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा स्कीम का अवलोकन उभयपक्षो को कराया जाकर एवं पत्रावली मे उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया जाकर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिवत रूप से पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपीले खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से तकासमा का वाद पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय मे वकील उभयपक्ष द्वारा दोनों वादों तकासमा से संबंधित होने के कारण एक साथ किया जाकर आपसी मौखिक सहमति के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया था तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक ... वाद पत्र दिनांक 29.6.18 को फाईनल डिक्री किया गया है। इसके पश्चात वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 41 नियम 1 व धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:47:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

151 जा.दी.पेश किये जाने के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किया गया। जिसमे वादी वकील द्वारा आपत्ति बाबत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंटवारा स्कीम दिनांक 28.6.18 को निरस्त किया जाकर पक्षकारो की उपस्थिति मे बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को दिये गये है। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा पुनःबंटवारा स्कीम तैयार अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत करने पर वकील प्रतिवादी एवं वकील वादी द्वारा बंटवारा स्कीम पर पुनःआपत्ति दर्ज कराई जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.19 को आपत्तियां स्वीकार की जाकर टोडाभीम से गुढाचन्द्रजी रोड पर 1/2, 1/2 का बंटवारा स्कीम तैयार कर भिजवाने के निर्देश तहसीलदार टोडाभीम को दिये गये है। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा बंटवारा स्कीम तारीखी 13.8.20 पेश किये जाने पर वादी एवं प्रतिवादी वकील द्वारा पुनः आपत्तियां दर्ज कराई गई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्यिां स्वीकार की जाकर बंटवारा स्कीम दिनांक 13.8.20 को निरस्त कर स्वयं तहसीलदार एवं पक्षकारो की उपस्थिति मे बंटवारा स्कीम के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस पर तहसीलदार टोडाभीम द्वारा निर्देशानुसार बंटवारा स्कीम तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय मे भिजवाई गई। परन्तु उस बंटवारा स्कीम पर पुनः वादी वकील द्वारा आपत्ति दर्ज कराने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी वकील की आपत्ति अस्वीकार कर मुताबिक बंटवारा स्कीम वाद पत्र डिकी किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की आपत्ति को विधि विरूद्व खारिज किया है। क्योकि बंटवारा स्कीम दिनांक 14.9.20 को तैयार हुई है जो दिनांक 28.10.20 को अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात मे से खसरा न0 103,102,96,97 पर अपीलांट का कब्जा नही है फिर भी बंटवारा स्कीम मे अपीलांट को उक्त खसरे दिये गये है। जबकि अपीलांट मौके पर खसरा न0 100,101,440/100,95 व 99 पर काविज काश्त है। चूकि हस्तगत प्रकरण तकासमा से सबंधित है जिसमे मुख्य रूप से कब्जा देखा जाता है यदि किसी खातेदार को उसके कब्जे के विरूद्व खसरा बंटवारे मे दिया जाता है तो निश्चित ही उसको उसके अधिकारो से वंचित होना पडता है क्योकि कब्जे शुदा भूमि पर खातेदार द्वारा आवश्यक सुविधाये मुहैया कर ली जाती है। माननीय राजस्व मंडल अजमेर के नियम 18 से 21 मे स्पष्ट प्रावधान है कि बंटवारे के वाद मे मुख्य रूप से कब्जा देखना होता है एवं कब्जे एवं हिस्से अनुसार ही बंटवारा स्कीम तलब की जाकर बंटवारा स्कीम पर उभयपक्ष को सुना जाकर ही तकासमा किया जावे। हस्तगत प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वाद पत्र डिकी किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है तथा प्रकरण मे वादग्रस्त आराजीयात की बंटवारा स्कीम उभयपक्ष की मौजूदगी मे माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना मे मीटर्स एण्ड ब[illegible] के आधार पर रोड साईड की भूमि के दृष्टिगत समान हिस्सा दर्शाते हुए [illegible] साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करने [illegible] किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। निर्णय व डिकी अधिनस्थ न्यायालय दोनो 74/12 एवं 49/13 निर्णय व डिकी दिनांक 14.9.21 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे वादग्रस्त आराजीयात की बंटवारा स्कीम उभयपक्ष की मौजूदगी मे माननीय मण्डल के निर्देशान्तर्गत नियम 18 से 21 की पालना करते हुए मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर तैयार कराई जाकर रोड साईड की भूमि पर समान हिस्सा दर्शाते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के यहाँ दिनांक 29.01.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलियो मे पृथक पृथक संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:28 IST
Reason: SelfAttested